



प्रक्रांक संख्या : वाई0ई0ए0/ सी0 ई0ओ0/2015/ 194
दिनांक : 30-12-15

कार्यालय आदेश

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 54वीं बैठक के मद संख्या 54/33, दिनांक 14.12.2015 में प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड / भवन के हस्तांतरण शुल्क के पुननिर्धारण विषयक प्रस्ताव पर संचालक मण्डल द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में प्राधिकरण द्वारा आवासीय भूखण्ड / भवन का हस्तांतरण शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

क्रम सं०	विवरण	अनुमोदित हस्तांतरण दरें
1	आवासीय भूखण्ड	प्रचलित दर का 5 प्रतिशत
2	निर्मित भवन (50 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक)	रु 75/- प्रति वर्गमीटर
3	निर्मित भवन(51 वर्गमीटर से 100 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल)	रु 150/- प्रति वर्गमीटर
4	निर्मित भवन(101 वर्गमीटर से 200 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल)	रु 300/- प्रति वर्गमीटर
5	निर्मित भवन(201 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल)	रु 500/- प्रति वर्गमीटर

उपरोक्त नीति प्राधिकरण की 54वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या 54/33 दिनांक 14.12.2015 के क्रम में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० अरुणवीर सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण
- उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (A/S), यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण
- विशेषकार्यधिकारी (SB/H/S/M), यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण
- वित्त नियंत्रक, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण
- महाप्रबन्धक (परियोजना / नियोजन), यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण
- वरिष्ठ प्रबन्धक / प्रबन्धक -I/II (सम्पत्ति), यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण
- गार्ड फाइल

Someshwar
मुख्य कार्यपालक अधिकारी